

पत्रांक

/आयु० कर उत्तरा०/सचलदल/2014-15/वाणि०कर/दे०दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन-अनुभाग)

देहरादून :: दिनांक :: ०५ दिसम्बर, 2014

आदेश/विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-48(A)(1) के प्रोविजों में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में "Online Trip Sheet" के माध्यम से माल के परिवहन की अनिवार्यता, एन०आई०सी० सर्वर व सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि आ जाने के कारण एतद्वारा दिनांक 05.12.2014 की प्रातः 8:30 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक शिथिल की जाती है। अधिनियम एवं नियम के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश केवल उपरोक्त निर्धारित अवधि के लिए ही वैध है।

(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं०३१७३ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून
- 3- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेशन/ उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०/प्र०)वा०कर, गढ़०जोन, हरिद्वार/कु०जोन, रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10- डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय०कार्य०) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 11- मौ० शाहब अली, डिप्टी कमिश्नर, मुख्यालय/वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
- 12- मुख्यालय के संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 13- मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।